मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचितक्षेत्रसमिति के भवन उपनियम–2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या 63 /　　　　　　　　दिनांक 11/08/2015

महाशय,

प्लौट सं0– 1493 खाता सं0– 137 मौजा– डिमना, वार्ड सं0– 09 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक मे आवासीय भवन Ground Floor + 1st Floor ऊँचाई– **6.75** मीटर कुल इकाई – 02 अदद आवासीय भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकरी एव दस्तावेज मे अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृति भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता मे मान्य नही होगा। किसी भी परिस्थिति मे भवन की ऊँचाई /मजिल की संख्या मे वृद्धि नही होगी जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नही ली जाएगी।
3. निर्माण के गुणवता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/ भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियो के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एव संरचना के सही रुपाकंण एव इसकी सुरक्षा का दायित्व संबधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अक्षेस कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात इसकी जाँच (दस दिनो के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. मानगो बिल्डिग बाईलॉज 2006 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
6. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रुप से करना होगा।
7. भवन निर्माण मे 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश ब्रिक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
8. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ0क्षे0स0 को सूचित करना होगा। तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन मे Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
9. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ0क्षे0स0 द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
10. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/ आदिवासी खाता के भूमि पर किसी भी हालत मे भवन निर्माण नही किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृति भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृति तल एवं कुल स्वीकृत इकाई आदि का विवरण देना होगा।
12. भवन मे समुचित क्षमता का तडित चालक लगाना अनिवार्य है।
13. यह परमिट निर्माण कार्य हेतु निर्गत की तिथि से मात्र तीन वर्षो के लिए ही विधिमान्य होगी।

[signature] 04/08/2015　　　[signature] 03/08/15　　　[signature] 11.8.15

कनीय अभियंता　　　　सहायक अभियंता　　　　विशेष पदाधिकारी
मानगो अक्षेस　　　　　मानगो अक्षेस　　　　　मानगो अक्षेस

विशेष पदा[धिकारी]
मानगो अधिसूचि[त]